न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या – 167 / 2018
निर्णय दिनांक– 26.02.2019

उनवान

1.देवलाल पुत्र बदरीलाल जाति गुर्जर निवासी पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
2.भूलीबाई पत्नी बदरीलाल जाति गुर्जर निवासी पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)

वादीगण

बनाम

1. गोविन्दा पुत्र रोडू जाति मीना निवासी बाबई तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
2. जगदीश पुत्र रोडू जाति मीना निवासी बाबई तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
3. रामधन पुत्र रोडू जाति मीना निवासी बाबई तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
4. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित– 1. श्री हरिराज सिंह वादी के वकील
2.तहसीलदार उनियारा प्रतिवादी न0 4

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह है कि वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की खरीदशुदा आराजी खसरा नम्बर 110 रकबा 1.25 ख0न0 499 रकबा 0.20 कुल किता 2 कुल रकबा 1.45 है0 वाके ग्राम पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का अपने पिता स्व0 बदरी पुत्र गोविन्दा के कब्जे काश्त की आराजीयात है, जिनका वादग्रस्त आराजी पर विगत 50–60 वर्षो पूर्व से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा होने के कारण वादग्रस्त आराजी के खातेदार प्रतिवादीगण ने वादीगण के पिता के पक्ष मे एक सहमत पत्र दिनांक 10.06.1986 को 50/– रू0 के स्टाम्प पर लिखकर रूबरू गवाहान वादीगण के पिता को सुपुर्द कर दिया था, जिसमे यह अंकित किया था कि वादग्रस्त आराजीयात से उनका कोई लेना देना या सम्बन्ध नही है। वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के पिता के नाम खातेदारी मे दर्ज कर दी जावे तो उनकी पूर्ण सहमति है। इस सम्बन्ध मे प्रतिवादीगण ने पुनः दिनांक 07.07.1996 को वादीगण के पिता से 35000/–रू0 लेकर वादीगण के पक्ष मे एक इकरारनामा 50/–रू0 के स्टाम्प पर तहरीर व तकमील करवाते

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

हुये वादीगण के पिता के नाम खातेदारी मे दर्ज करवाने हेतु न्यायालय मे आवश्यकता होने पर बयान देने का इकरार किया था। वादीगण के पिता का देहावसान हो गया है, जिनके वादीगण ही विधिक वारीस व उत्तराधिकारी है तथा वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का अपने पिता के जीवनकाल से लगातार बिना किसी बाधा के एडवर्स पजेशन चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण को भी इस बात की पूर्ण जानकारी है कि वादग्रस्त आराजीयात पर उनका कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है तथा उन्होने इस बाबत कभी आपत्ति भी दर्ज नही की है। वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी मे चली आ रही होने के कारण वादीगण वादग्रस्त आराजी पर के0सी0सी0 बनवाने व अन्य लाभ प्राप्त करने से वंचित हो रहे है तथा वादग्रस्त आराजी की कीमते बढ जाने के कारण अब प्रतिवादीगण के दिलमे बेईमनी आने लगी है तथा वह वादग्रस्त आराजीयात को अन्य को रहन, बेचान करने पर आमादा है। जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है। वादीगण वादग्रस्त आराजी की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो चुके है। वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना व इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जाकर राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादीगण का नाम तर्क किया जाना न्यायोचित है।

यह कि वादीगण की अधियाचना है कि वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर डिक्री फरमाया जावें। आराजी खसरा नम्बर 110 रकबा 1.25 ख0न0 499 रकबा 0.20 कुल किता 2 कुल रकबा 1.45 है0 वाके ग्राम पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा जरिये दुरूस्ती इन्द्राज प्रतिवादीगण 1 ता 3 का नाम हटाया जाकर वादीगण का नाम खातेदारी मे दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार मजाहमत व मदाश्लत नही करे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण 1 ता 3 के बावजूद तामीली सूचना उपस्थित नही आने से उसके विरूद्व दिनांक 23.01.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

प्रतिवादी न0 4 तहसीलदार उनियारा ने जवाब दावा पेश किया कि वादीगण को कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित नही किया जा सकता । भूमि प्रतिवादीगण मीना जाति से है । वादी मीणा जाति वर्ग का न होकर गूर्जर जाति से है, जिससे राज0 टीनेन्सी एक्ट की धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन होता है। वादीगण ने मीना जाति की भूमि पर कब्जा किया है एवं कब्जे के आधार पर प्रतिवादीगण का नाम नही हटाया जा सकता है । कब्जे के आधार पर वादीगण को बेदखल किया जाना अपेक्षित है। यदि वादीगण के क्रय बाबत प्रमाणित दस्तावेज पेश कर क्रय किया जाना सिद्व करे तो धारा 175 के तहत सिवायचक दर्ज किया जा सकता है। अतः उक्त परिस्थितियों के चलते वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

वादीगण के वकील ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे निम्न दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2051–2054 ग्राम पायगा प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 ग्राम पायगा प्रदर्श 2, असल सहमति पत्र दिनांक 10.6.86, अन रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 7.7.96 पेश किये है।

वादीगण के वकील ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे निम्न गवाहान पी.डब्लू. 1 देवलाल, पी. डब्लू. 2 कन्हैयालाल, पी.डब्लू. 3 कमलेश व पी.डब्लू 4 कानजी के शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गयी। बहस पर गोर किया गया। पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । नकल, जमाबन्दी सम्वत् 2051–54 वाके ग्राम पायगा प्रदर्श 1 में आराजी खसरा नम्बर 110 रकबा 1.25 ख0न0 499 रकबा 0.20 कुल किता 2 कुल रकबा 1.45 है0 जगदीश , रामधन, गोविन्दा पि0 रोडू मीना सा0 देह की खातेदारी मे दर्ज है। नकल, जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 वाके ग्राम पायगा प्रदर्श 2 में आराजी खसरा नम्बर 110 रकबा 1.25 ख0न0 499 रकबा 0.20 कुल किता 2 कुल रकबा 1.45 है0 जगदीश , रामधन, गोविन्दा पि0 रोडू मीना सा0 देह की खातेदारी मे दर्ज है। वादीगण न0 1 व 2 के पिता बदरीलाल ने उक्त वादग्रस्त आराजी को प्रदर्श 4 अपंजीकृत दस्तावेज दिनांक 7.7.96 से क्रय की है। जिसकी ताईद प्रदर्श 4 पर अंकित गवाह कानजी ने अपने शपथ पत्र के द्वारा की गई है। प्रतिवादीगण के द्वारा सम्मन लेने से मना करना वादीगण के वाद की पुष्टि होती है। साक्ष्य वादीगण से भी वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का कब्जा काश्त सिद्व है। वादीगण स्वर्ण जाति से है, जबकि प्रतिवादीगण अनुसुचित जन जाति के सदस्य है। बैचान अपंजीकृत है तथा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 42 के तहत अवैध है। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का भी कब्जा अवैध है। ऐसी स्थिति में न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार करना उचित नही समझता हैं। अतः वाद वादीगण खारीज किया जाता है। उक्त आराजी का बेचान जरियें इकरारनामा कर दिये जाने से तथा उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त नही होने से आराजी खसरा नम्बर 110 रकबा 1.25 ख0न0 499 रकबा 0.20 कुल किता 2 कुल रकबा 1.45 है0 वाके ग्राम पायगा तहसील उनियारा को सिवायचक घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अकंन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो । फरिकेन खच अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 25.02.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
जिला टोंक (राज0)

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

1.देवलाल पुत्र बदरीलाल जाति गुर्जर निवासी पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
2.भूलीबाई पत्नी बदरीलाल जाति गुर्जर निवासी पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)

वादीगण

बनाम

1. गोविन्दा पुत्र रोडू जाति मीना निवासी बाबई तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
2. जगदीश पुत्र रोडू जाति मीना निवासी बाबई तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
3. रामधन पुत्र रोडू जाति मीना निवासी बाबई तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
4. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 157 वर्ष 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री हरिराज सिंह वादी मिनजानिब मुद्दइ व तहसीलदार उनियारा प्रतिवादी न0 4 मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण खारीज किया जाता है। उक्त आराजी का बेचान जरियें इकरारनामा कर दिये जाने से तथा उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त नही होने से आराजी खसरा नम्बर 110 रकबा 1.25 ख0न0 499 रकबा 0.20 कुल किता 2 कुल रकबा 1.45 है0 वाके ग्राम पायगा तहसील उनियारा को सिवायचक घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अकंन किये जाने के आदेश दिये जाते है। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 02 सन् 2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner